भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2119

09.12.2024 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु मानक प्रचालन प्रक्रियाएं

2119. श्री राहुल कस्वां :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के अंतर्गत स्वच्छ वायु कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु मानक प्रचालन प्रक्रियाएं सृजित करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं;

(ख) एनसीएपी की प्रभावकारिता और समयबद्धता में सुधार करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं,

(ग) एनसीएपी के अंतर्गत प्रदूषण की उत्पत्ति को समझने के लिए वर्तमान में कौन-कौन सी अध्ययन विधियों का उपयोग किया जाता है; और

(घ) दूरस्थ स्रोतों से प्रदूषण के फैलाव की व्यापक समझ को बढ़ाने के लिए वायु गुणवत्ता मॉडलिंग जैसे मॉडलिंग के अधिक प्रभाव रूपों को अनुकूलित और कार्यान्वित करने के लिए किए गए विशिष्ट उपाय क्या हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा जनवरी 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय, राज्य और शहर स्तर की स्वच्छ वायु कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के महानगरों सहित 130 शहरों (अवमानक वायु गुणवत्ता वाले शहरों और दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों) में वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। एनसीएपी में वर्ष 2025-26 तक PM10 के स्तर में 40% तक की कमी या राष्ट्रीय मानकों (60 माइक्रोग्राम/क्यूबिक मीटर) की उपलब्धि की परिकल्पना की गई है।

शहरी कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा कार्यक्रम के तहत समय-समय पर जारी किए गए विशिष्ट दिशा-निर्देशों के अनुरूप राज्य और शहर स्तर पर समन्वित कार्रवाई के माध्यम से किया जाता है। एनसीएपी कार्यक्रम के प्रमुख दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं:

(i) एनसीएपी के अंतर्गत निधियों के जारी करने और उपयोग करने के लिए दिशानिर्देश

(ii) दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों/शहरी समूहों के लिए मिलियन प्लस चैलेंज फंड में परिवेशी वायु गुणवत्ता घटक संबंधी सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए प्रचालन दिशानिर्देश

(iii) राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) -"स्वच्छ वायु सर्वेक्षण" के अंतर्गत शहरों की रैंकिंग के लिए दिशानिर्देश

(iv) एनसीएपी के तहत क्षमता संवर्धन और सार्वजनिक आउटरीच के लिए दिशानिर्देश

(v) एनसीएपी के अंतर्गत राष्ट्रीय जानकारी नेटवर्क (एनकेएन) और प्रतिष्ठित संस्थानों (आईओआर) के लिए दिशानिर्देश

(vi) राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के अंतर्गत शहरी कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु लेखापरीक्षा करने के लिए दिशानिर्देश

(vii) राज्य कार्य योजना तैयार करने के लिए दिशानिर्देश

(viii) निर्माण सामग्री तथा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्टों के प्रबंधन में धूल शमन उपायों से संबंधित दिशानिर्देश

(ix) पुराने अपशिष्ट (पुराना नगरपालिका ठोस अपशिष्ट) के निपटान के लिए दिशानिर्देश

(x) निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्टों के पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन संबंधी दिशानिर्देश

(xi) भारतीय शहरों के लिए वायु गुणवत्ता निगरानी, सूची और स्रोत संविभाजन अध्ययन के लिए संकल्पनात्मक दिशानिर्देश और सामान्य पद्धति

(xii) परिवेशी वायु प्रदूषकों के मापन के लिए दिशानिर्देश

एनसीएपी के अंतर्गत कार्य योजनाओं की प्रगति के समन्वय, समीक्षा और निगरानी के लिए राष्ट्रीय, राज्य और शहर स्तर पर निम्नलिखित समितियां गठित की गई हैं:

क. एक राष्ट्रीय स्तर
   (i) शीर्ष समिति
   (ii) संचालन समिति
   (iii) निगरानी समिति
   (iv) कार्यान्वयन समिति

ख. राज्य स्तर
   (i) संचालन समिति
   (ii) कार्यान्वयन समिति

ग. शहर स्तर

(i) नगर स्तरीय कार्यान्वयन एवं निगरानी समिति

शहर की कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए सीपीसीबी के नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एसपीसीबी और शहर के नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं।

शहरों द्वारा क्रियान्वित गतिविधियों का तीसरे पक्ष द्वारा ऑडिट कराने की रूपरेखा भी तैयार की गई है। स्थानीय तौर पर तकनीकी क्षमता संवर्धन और एनसीएपी के तहत गतिविधियों में सहयोग करने के लिए संस्थानों का एक बड़ा समूह तैयार करने हेतु राष्ट्रीय जानकारी नेटवर्क (एनकेएन) का गठन किया गया है।

शहरी कार्य योजनाओं को लागू करने के लिए यूएलबी को तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए शहरों को प्रतिष्ठित संस्थान सौंपे गए हैं। कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए यूएलबी की सहायता के लिए परियोजना प्रबंधन इकाइयाँ (पीएमयू) स्थापित की गई हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एनसीएपी के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए **"प्राण"** नामक पोर्टल शुरू किया है। यह पोर्टल एनसीएपी के तहत वायु गुणवत्ता सुधार के लिए शहरों की कार्य योजनाओं, भौतिक और वित्तीय प्रगति के कार्यान्वयन को ट्रैक करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

(ग) और (घ): स्रोत संविभाजन अध्ययन, जो मुख्य रूप से मापन और रिसेप्टर मॉडलिंग के माध्यम से स्रोतों का पता लगाने पर आधारित है, स्रोतों और उनके योगदान की सीमा की पहचान करने में मदद करता है। अब तक 79 शहरों के ऐसे अध्ययन पूरे हो चुके हैं।

*****